

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर)  
सू.अ.अपील संख्या 17 / 2023


न. व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

06.02.23

अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कलां, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 में उसके द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर के पत्र क्रमांक 384 दिनांक 02.11.22 को जोधपुर तहसीलदार को प्रेषित पत्र में हलका पटवारी द्वारा 16.12.20 को सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उक्त प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी-उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।



(हिमान्शु गुप्ता)

जिला कलक्टर जोधपुर  
जिला कलक्टर, जोधपुर (राब.)